



कार्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-50/कार्मिक/सा.प्र./ननिग्रेज/2022/1107

दिनांक:-

31/11/2022

कार्यालय आदेश

श्री प्रितम कुमार वाल्मिकी पुत्र श्री कुलदीप सिंह, पद सफाई कर्मचारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर वित्त विभाग (नियत अनुभाग) के आदेश क्रमांक एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2010 दिनांक 30.05.2022 के अनुसार मूल वेतन का 06 प्रतिशत या अधिकतम 1200/- रु वाहन भत्ता दिनांक 01.04.2022 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—sd
(सीमा शर्मा)

उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
7. कार्यालय अधीक्षक
8. संस्थापन लिपिक
9. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
10. सम्बन्धित श्री.....
11. गार्ड फाईल

—sd
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर